# 55वीं GST परिषद बैठक

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री की अध्यक्षता में राजस्थान के**जैसलमेर में 55वीं** **वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद** **की बैठक आयोजित की गई।**

## मुख्य बिंदु

- गोवा, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, मेघालय, ओडिशा के मुख्यमंत्रियों, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के उपमुख्यमंत्रियों ने भी भाग लिया।
- **GST परिषद की अनुशंसाएँ:**
- **प्रयुक्त इलेक्ट्रिक वाहन (EV):** GST परिषद ने गैर-इलेक्ट्रिक वाहनों की तरह सभी प्रयुक्त**EV** **की बिक्री पर** कर की दर **12% से बढ़ाकर 18% करने का निर्णय लिया है।**
  - **GST केवल व्यावसायिक** बिक्री के मामले में **मार्जिन मूल्य (खरीद और बिक्री मूल्य के बीच का अंतर, यदि दावा किया गया हो तो मूल्यह्रास के लिये समायोजित)** पर लागू होगा। **व्यक्तिगत-से-व्यक्तिगत बिक्री** पर **कोई GST लागू नहीं होता है।**
- **बैंकों के दंडात्मक शुल्क: ऋण अवधि के उल्लंघन** के लिये **बैंकों और** **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC)** द्वारा लगाए गए दंडात्मक शुल्क पर कोई GST लागू नहीं होता है।
- **भुगतान एग्रीगेटर: 2,000 रुपए से कम** के भुगतान को संभालने वाले **भुगतान एग्रीगेटर** छूट के लिये पात्र होंगे।
  - यह छूट **भुगतान गेटवे** या फंड निपटान से असंबंधित अन्य **फिनटेक सेवाओं** पर लागू **नहीं होती है।**
- **विमानन टरबाइन ईंधन (ATF):** GST परिषद **ATF** **GST** के दायरे में लाने पर **सहमत नहीं हुई** क्योंकि राज्यों ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया।
  - **राज्य ATF को कच्चे पेट्रोलियम डीजल की टोकरी** का हिस्सा मानते हैं और कहते हैं कि इसे अकेले **नहीं हटाया जा सकता।**
  - पाँच उत्पादों यानी **कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, ATF और प्राकृतिक गैस को** GST के दायरे से बाहर रखा गया है। इन पर केंद्र सरकार **उत्पाद शुल्क लगाती है** और राज्य **VAT लगाते हैं।**
- **GST छूट: किसानों** द्वारा सीधे आपूर्ति की जाने वाली **काली मिर्च और किशमिश को** GST से छूट दी जाएगी।
  - **जीन थेरेपी को** GST से पूरी तरह छूट दी गई है तथा **सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों** पर **एकीकृत GST** छूट को बढ़ा दिया गया है।
- **क्षतिपूर्ति उपकर: व्यापारिक निर्यातकों को आपूर्ति पर** **क्षतिपूर्ति उपकर** **की** दर को घटाकर 0.1% कर दिया गया।
- यह उपकर GST के कार्यान्वयन के कारण **राज्यों को होने वाली किसी भी राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति** के लिये चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एकत्र किया जाता है।
- **पॉपकॉर्न:** GST परिषद ने **स्पष्ट किया** (कोई नया कर नहीं लगाया गया) कि**कैरामलाइज़्ड पॉपकॉर्न** पर 18% GST लगाया गया है। **नमक और मसालों** के साथ रेडी-टू-ईट पॉपकॉर्न पर 5% GST लगेगा, अगर वह पहले से पैक और लेबल वाला न हो औ**र अगर वह पहले से पैक और लेबल वाला हो, तो 12% GST लगेगा।**
  - **कैरामलाइज़्ड पॉपकॉर्न को शुगर कन्फेक्शनरी** के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और इस पर **18% GST लगता है,** जबकि **नमकीन** पॉपकॉर्न एक **नमकीन है** और इस पर **5% GST लगता है।**

## GST परिषद

- **GST परिषद:** GST परिषद, **अनुच्छेद 279-A (101वाँ संशोधन, 2016)** के तहत **एक संवैधानिक निकाय,** GST कार्यान्वयन पर अनुशंसाएँ करता है।
- GST एक **मूल्यवर्द्धित (एड वैलोरम)** और **अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है** जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है।
- **सदस्य:** परिषद में **केंद्रीय वित्त मंत्री (अध्यक्ष),** केंद्रीय राज्य मंत्री (वित्त) और प्रत्येक राज्य से एक वित्त या कोई अन्य मंत्री शामिल होते हैं।
- **निर्णयों की प्रकृति: मोहित मिनरल्स मामले, 2022** में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि GST परिषद की अनुशंसाएँ**बाध्यकारी नहीं हैं,** क्योंकि संसद और राज्यों के पास GST पर **एक साथ विधायी शक्तियाँ हैं।**

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/55th-gst-council-meeting-1